



-प्रेस नोट-

दिनांक 14.02.2026

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

नकुड पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 01 अंतर्राज्यीय / 25,000/- रुपये का ईनामी एवं गोकशी का वांछित बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा / 01 खोखा कारतूस .315 बोर एवं 01 मोटरसाइकिल बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, नकबजनी, एनडीपीएस, चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 13.02.2026 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं उ0नि0 देवेन्द्र कुमार अधाना मय पुलिस फोर्स के अम्बैहटा से गंगोह जाने वाले रास्ते पर ग्राम रामसहायवाला गेट के पास संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चैकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक मोटर साइकिल पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति गंगोह की तरफ से आता दिखाई दिया जिसे टोर्च की रोशनी से रुकने का इशारा किया गया तो संदिग्ध व्यक्ति ग्राम रामसहायवाला गेट से आगे जंगल में जाने वाले कच्चे रास्ते पर मोटरसाइकिल को मोडकर भागने लगा। जिसका पीछा पुलिस पार्टी द्वारा किया गया तो भाग रहे व्यक्ति की मोटरसाइकिल कच्चे रास्ते पर फिसलकर गिर गयी। पुलिस पार्टी को अपने पास आता देख व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल / गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान साजिद पुत्र राशिद उर्फ राशू निवासी मौहल्ला कुरेशियान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के रूप में हुई। घायल / गिरफ्तार अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा / 01 खोखा कारतूस .315 बोर एवं 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार / घायल अभियुक्त एक अन्तर्राज्यीय शातिर अपराधी है जो थाना नानौता जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 284/2025 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिस पर 25,000/- रुपये का ईनाम घोषित है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नकुड पर मु0अ0सं0-87/26 धारा109(1)/317(5)/ बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. साजिद पुत्र राशिद उर्फ राशू निवासी मौहल्ला कुरेशियान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमंचा कारतूस .315 बोर
- 01 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 जिंदा कारतूस .315 बोर
- 01 मोटरसाइकिल

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 504/20 धारा 392/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. मु0अ0स0 506/20 धारा 307/398/401 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. मु0अ0स0 508/20 धारा 3/25 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. मु0अ0स0 570/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. मु0अ0स0 232/19 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट भादवि थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
6. मु0अ0स0 104/19 धारा 34/379/411/420/468/471 भादवि कुतुबशेर जिला सहारनपुर
7. मु0अ0स0 107/19 धारा 34/420/468/471 भादवि कुतुबशेर जिला सहारनपुर
8. मु0अ0स0 243/18 धारा 34/420/468/471 भादवि थाना सरसावा जिला सहारनपुर
9. मु0अ0स0 247/18 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट सरसावा जिला सहारनपुर
10. मु0अ0स0 180/2018 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मण्डी जिला सहारनपुर
11. मु0अ0स0 431/2019 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मण्डी जिला सहारनपुर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार अधाना थाना नकुड जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 रविन्द्र कुमार धामा थाना नकुड जिला सहारनपुर
4. है0का0 892 अजय राठी थाना नकुड जिला सहारनपुर
5. है0का0 650 वरणकार थाना नकुड जिला सहारनपुर
6. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 14.2.2026

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा बाद मुठभेड 01 शातिर खैर लकडी तरकर गिरफ्तार, कब्जे से करीब 25 क्विंटल खैर की लकडी(अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये) व 02 गाडी व 01 तमंचा,01 खोखा/02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में गौकशी,लकडी चोरी , एनडीपीएस एक्ट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त चैकिंग/हेतु दिशा निर्देश दिये गये जिसके अनुक्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना पुलिस द्वारा आज दिनांक 14.2.26 को खारा पावर हाउस के पास चैकिंग के दौरान 02 गाडी ग्राम रहना जानीपुर की तरफ से आती दिखाई दी थाना पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो अभियुक्त गण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया तथा जंगल की तरफ भाग गये । थाना पुलिस की जवाबी कार्यवाही मे अभियुक्त जिसका नाम **मोनिश पुत्र रफीक निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 देशी तमंचा 315 बोर मय एक खोका कारतूस 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा 01 महेन्द्रा स्कार्पियो गाडी रजि0न0 UK 07AA 3600 जिसकी नम्बर प्लेट UK 07AA8800 की नम्बर प्लेट लगा रखी थी तथा एक पिक अप गाडी रजि0न0 UP 11CT1206 तथा खैर की लकडी के छोटे बडे टुकडे जिनकी संख्या 41 जिनका वजन करीब 25 क्विंटल है मौके पर शेष अभियुक्त जंगल के रास्ते फरार हो गये अभियुक्त गण द्वारा उक्त खैर की लकडी को पुलिस को भ्रमित करने के लिये पत्ता खोभी सब्जी से ढक रखा था। बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 42/25 धारा 109(1)/336(2) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 व 4/10 वन अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी अभियुक्त विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोनिश पुत्र रफीक निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण –

- 01 महेन्द्रा स्कार्पियो गाडी रजि0न0 UK 07AA 3600
- 01 पिक अप गाडी रजि0न0 UP 11CT 1206
- 41 टुकडे खैर की लकडी के छोटे बडे वजन करीब 25 क्विंटल

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. हेका0 680 भूपेन्द्र थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. हेका0 1260 सोविन्द्र थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

6. हेका0 471 विपिन कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
7. का0 2017 चिराग थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
8. का0 2034 राहुल मोतला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 14.02.2026

## -प्रेस नोट-

### वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

#### थाना रामपुर मनि0 द्वारा अवैध 22 पच्चे देशी शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो व नशा तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुर मनि0 पुलिस द्वारा दिनांक 13.02.26 को गस्त के दौरान अभियुक्त अभि0 लीलु उर्फ मदनपाल पुत्र रहतू निवासी घसौती थाना रामपुर मनि0 जिला स0पुर को ग्राम घसौती से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त लीलु उर्फ मदनपाल उपरोक्त के कब्जे से 22 पच्चे देशी शराब उ0प्र0 मार्का व शराब बिक्री के 610 रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 56/26 धारा 60 आब0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

#### बरामदगी का विवरण-

➤ 22 पच्चे देशी शराब उ0प्र0 मार्का व 610 रुपये शराब बिक्री के

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभि0 लीलु उर्फ मदनपाल पुत्र रहतू निवासी घसौती थाना रामपुर मनि0 जिला स0पुर

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर
2. का0 योगेश कुमार थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर



दिनांक: 14.02.2026

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना बेहट पुलिस द्वारा गौकशी के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है दिनांक 20.01.2026 को वादी श्री प्रिन्स शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी मोहल्ला सडकपार थाना बेहट जनपद सहारनपुर तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा ग्राम जमालपुर के क्रबिस्तान में गौकशी करने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0स0 40/2026 अन्तर्गत धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया दिनांक 21.01.2026 को अभियुक्तगण 1.भूरा पुत्र आलिम निवासी ग्राम चाण्डी थाना बेहट जनपद सहारनपुर 2.मुनव्वर पुत्र यासीन निवासी ग्राम जमालपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर 3. फरान पुत्र इनाम निवासी खिडका भटकवा थाना बेहट जनपद सहारनपुर 4.तौफीक पुत्र महदूद निवासी ग्राम धौला कुआ थाना बेहट जनपद सहारनपुर के नाम प्रकाश में आये।

**पुलिस कार्यवाही:-**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियन्त्रण, चोरी लूट, गौकशी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.02.26 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 40/2026 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त **मुनव्वर पुत्र यासीन निवासी ग्राम जमालपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को ग्राम जमालपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

मुनव्वर पुत्र यासीन निवासी ग्राम जमालपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1.उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर
- 2.है0का0 928 हरिओम तोमर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
- 3.का0 1813 कपिल कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर



14.02.2026

-प्रेस नोट-

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 45 फ्रूटी/पच्चे देशी शराब उत्तरप्रदेश मार्का बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी/बिक्री करने वाले 01 अभियुक्त मोहतसीम पुत्र सलीम निवासी ग्राम भोजपुर तगा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को ग्राम भोजपुर तगा को जाने वाले तिराहे से दिनांक 13.02.26 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 45 फ्रूटी/पच्चे देशी शराब महबूबा उत्तरप्रदेश मार्का बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 50/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किय गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

मोहतसीम पुत्र सलीम निवासी ग्राम भोजपुर तगा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

#### बरामदगी का विवरण:-

➤ 45 फ्रूटी/पच्चे देशी शराब महबूबा उत्तरप्रदेश मार्का

#### अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 71/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना
2. मु0अ0सं0 72/20 धारा 35ए/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना
3. मु0अ0सं0 73/20 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414/465/420 भादवि थाना चिलकाना
4. मु0अ0सं0 286/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना चिलकाना
5. मु0अ0सं0 50/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 श्री विकास तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1317 सचिन कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. है0का0 436 जाबिर अली थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



14.02.2026

-प्रेस नोट-

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 40 फ्रूटी/पच्चे देशी शराब उत्तरप्रदेश मार्का बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी/बिक्री करने वाले 01 अभियुक्त मुकेश पुत्र दलमीरा निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को ग्राम दुमझेडा जाने वाले खडंजे पर आम के बाग के पास दिनांक 13.02.26 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 40 फ्रूटी/पच्चे देशी शराब महबूबा उत्तरप्रदेश मार्का बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 49/2026 धारा 60आबकारीअधिनियम पंजीकृत किय गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. मुकेश पुत्र दलमीरा निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

#### बरामदगी का विवरण:-

➤ 40 फ्रूटी/पच्चे देशी शराब महबूबा उत्तरप्रदेश मार्का

#### अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 269/17 धारा 392/411 भादवि थाना चिलकाना
2. मु0अ0सं0 326/17 धारा 41/102 सीआरपीसी व 467 /468/471 भादवि थाना चिलकाना
3. मु0अ0सं0 475/17 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना सरसावा
4. मु0अ0सं0 121/2018 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना चिलकाना
5. मु0अ0सं0 574/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना
6. मु0अ0सं0 245/21 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना
7. मु0अ0सं0 306/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना
8. मु0अ0सं0 442/21 धारा 329/411 भादवि थाना कोतवाली देहात
9. मु0अ0सं0 28/24 धारा 457/380/34 भादवि थाना छछरौली यमुनानगर
10. मु0अ0सं0 001/2016 धारा 379/337/307/186/473/506 भादवि थाना सदर यमुनानगर
11. मु0अ0सं0 39/2018 धारा 174ए भादवि थाना सदर यमुनानगर
12. मु0अ0सं0 040/2018 धारा 174ए भादवि थाना सदर यमुनानगर
13. मु0अ0सं0 134/2015 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना सदर यमुनानगर
14. मु0अ0सं0 182/18 धारा 174ए भादवि थाना सदर यमुनानगर
15. मु0अ0सं0 251/2015 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर यमुनानगर
16. मु0अ0सं0 022/2018 धारा 174ए भादवि थाना सदर यमुनानगर

17. मु0अ0सं0 050/2019 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना सदर यमुनानगर
18. मु0अ0सं0 21/2025 धारा 3/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना
19. मु0अ0सं0 49/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली टीम:**

- 1- उ0नि0 श्री रोहताश सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 2- है0का0 880 अंकित पंवार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 3- का0 2550 प्रदीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 14.02.2026

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना देवबंद, पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही पर को घटना प्रयुक्त लाठी व बलकटी बरामद।**

अवगत कराना है कि दिनांक 06.02.2026 को वादी श्री विपिन पुत्र किरणपाल निवासी ग्राम रणखण्डी (पछाया पट्टी) थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत विपक्षीगण द्वारा द्वारा समान आशय के साथ गाली गलौच करते हुये अपने हाथों में धारदार हथियार बलकटी, फरसे, चाकू व लाठी उड़े लेकर के वादी के घर में घुसकर जान से मारने की नियत से वादी के ताऊ के लडके मिन्टू पुत्र मोहर सिंह व अमरपाल पुत्र मोहर सिंह व पिता किरणपाल तथा बहन अंकिता को वार कर घायल कर देना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0 81/26 धारा 3(5)/ 333/ 109(1) /115(2)/352/351(3)/118(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में वांछित की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा- निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14/02/2026 को वांछित अभियुक्त **सुकेश उर्फ सुक्का पुत्र अतरसिंह ग्राम रणखण्डी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को पिलर नं0 10 कस्बा देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त डन्डा व बलकटी बरामद की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

सुकेश उर्फ सुक्का पुत्र अतरसिंह ग्राम रणखण्डी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण-**

- 01 लाठी
- 01 बलकटी

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. है0का0 44 शैलेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



दिनांक 14.02.2026

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 01 शातिर हिस्ट्रीशीटर गौकश अभियुक्त  
घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 01 खोखा/ 02 जिंदा कारतूस .315  
बोर, गोकशी के उपकरण एवं 01 मोटरसाईकल स्पलेन्डर बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, नकबजनी, एनडीपीएस, चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 13.02.2026 को थानाध्यक्ष फतेहपुर विनय शर्मा व व0उ0नि0 भूपेन्द्र शर्मा मय पुलिस टीम द्वारा कलसिया रोड से ग्राम भटपुरा जाने वाले रास्ते पर संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चैकिंग की जा रही थी कि मुजफ्फराबाद की तरफ से दो संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाईकिल सवार आते दिखाई दिये जिन्हें पुलिस टीम द्वारा टोर्च की रोशनी दिखाकर रूकने का ईशारा किया गया तो मोटरसाईकिल सवार व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया और ग्राम भटपुरा की तरफ भागने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया तो कुछ दूर आगे उन व्यक्तियों ने अपनी मोटर साईकिल बाग के रास्ते पर मोड़ दी एवं मोटरसाईकिल फिसलकर गिर गयी। पुलिस पार्टी के पास आता देख दोनों बदमाशों द्वारा पुनः पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ बदमाशों पर फायरिंग की गयी जिसमें एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने के कारण घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। अन्य एक अभियुक्त अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार कांभिंग की जा रही है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान **मुस्तकीम पुत्र शकील निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** के रूप में हुयी। उक्त बदमाश थाना फतेहपुर का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर है। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0-68/26 धारा 109(1) BNS व 3/25/27 A ACT पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुस्तकीम पुत्र शकील निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमंचा कारतूस .315 बोर
- 01 खोखा कारतूस .315 बोर
- 02 जिंदा कारतूस .315 बोर
- गोकशी के उपकरण
- 01 मोटरसाईकिल स्पलेन्डर

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 390/23 धारा 380/411/457/120 बी भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 412/23 धारा 379/411/120 बी भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 420/23 धारा 379/411/120 बी भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 477/23 धारा 307/420 भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 22/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 172/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 173/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 61/26 धारा 126(2)/223/296 बीएनएस थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 68/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 भूपेद्र शर्मा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 मसकूर अली थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
4. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
5. है0का0 231 रोहित कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
6. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
7. का0 1323 कुलदीप थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक 13.02.2026

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगांव पुलिस मुठभेड़ में 25,000/- रुपये का इनामी घायल सहित 02 शातिर गौकश गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 खोखा/02 जिंदा कारतूस .315 बोर, 01 अवैध चाकू, 01 मोटरसाईकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, नकबजनी, एनडीपीएस, चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है

इसी क्रम में आज दिनांक 13.02.2026 को थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा बेलडा पुलिस पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग कर रहे थे, तभी देवबंद की तरफ से एक मोटरसाईकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिये। पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति को टॉर्च दिखाकर रोकने का इशारा किया गया। संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस को रोकने का इशारा करते ही पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा अन्य दूसरे बदमाश को कॉम्बिंग कर नहर पटरी शिमलाना जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान घायल शकील पुत्र यामीन निवासी मौहल्ला रहमान कॉलोनी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर तथा शाहरूख पुत्र अय्यूब निवासी मौहल्ला छोटा खानकाह थाना देवबंद जनपद सहारनपुर के रूप में हुयी। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार/घायल बदमाश शकील मु0अ0सं0-231/25 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम व 241/25 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम में 25,000/- रुपये का इनामी बदमाश है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना बेहट पर अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. शकील पुत्र यामीन निवासी मौहल्ला रहमान कॉलोनी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर (घायल)
2. शाहरूख पुत्र अय्यूब निवासी मौहल्ला छोटा खानकाह थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमंचा कारतूस .315 बोर
- 01 खोखा/02 जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 01 अवैध चाकू
- 01 मोटरसाईकिल रजि0नं0 UP11CV5851

### अभियुक्त शकील का आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0 231/25 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 241/25 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना बडगांव, जनपद सहारनपुर

- मु0अ0सं0 126/16 धारा 5/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 75/14 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम व 11(एफ) पशु क्रूरता अधि0 थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 29/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

### अभियुक्त शाहरुख का आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0 29/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं 25/739 0धारा (2)317/(1)109 बीएनएस थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री रमेश चन्द्र सिंह थाना बडगांव ,जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र राव थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- 3 .उ0नि0 श्री पंकज मिश्रा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री शौकीन खान थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
6. हे0कां0 638 अमित कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
7. हे0कां0 585 राहुल खोखर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
8. कां0 1569 अमरदीप थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 14.02.2026

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस अवैध चाकू सहित 01 अभियुक्त को किया गया**  
**गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध अस्त्र/शस्त्रों रखने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.02.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम चैकिंग/गश्त के दौरान अभियुक्त नदीम पुत्र खालिद निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को ग्राम पठेड से गोवर्धनपुर ढुलानी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 48/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

नदीम पुत्र खालिद निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण-**

➤ 01 अवैध चाकू

**अभियुक्त नदीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -**

1. मु0अ0सं0 559/2019 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 186/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 187/2021 धारा 10 गुण्डा अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 066/2021 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 121/2020 धारा 188 भादवि थाना नकुड सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 28/26 धारा 4/26 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 48/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-**

1. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. है0का0 157 सन्दीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. है0का0 799 मोहित शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 14.02.2026

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस अवैध चाकू सहित 01 अभियुक्त को किया गया**  
**गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध अस्त्र/शस्त्रों रखने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.02.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम चैकिंग/गश्त के दौरान अभियुक्त साबिर पुत्र शौकत निवासी ग्राम दभेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को ग्राम रावणपुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 52/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

साबिर पुत्र शौकत निवासी ग्राम दभेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण-**

➤ 01 अवैध चाकू

**अभियुक्त इसरान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -**

1. मु0अ0सं0 56/2015 धारा 398/401 भादवि 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट
2. मु0अ0सं0 588/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 052/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-**

4. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5. है0का0 157 सन्दीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
6. है0का0 799 मोहित शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 14.02.2026

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस अवैध चाकू सहित 01 अभियुक्त को किया गया**  
**गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध अस्त्र/शस्त्रों रखने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.02.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम चैकिंग/गश्त के दौरान अभियुक्त इसरान पुत्र इकबाल निवासी ग्राम दूधगढ़ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को ग्राम दूधगढ़ से धौलाहेडी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 51/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

इसरान पुत्र इकबाल निवासी ग्राम दूधगढ़ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण-**

➤ 01 अवैध चाकू

**अभियुक्त इसरान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -**

1. मु0अ0सं0 220/2017 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चिलकाना, सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 51/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-**

7. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
8. है0का0 157 सन्दीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
9. है0का0 799 मोहित शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 14.02.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना बेहट पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त  
गिरफ्तार, कब्जे से 150 ग्राम चरस बरामद**

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट पुलिस द्वारा आज दिनांक 14.02.2026 को गस्त/चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त सुहैल कुरैशी पुत्र इमरान निवासी मोहल्ला कस्साबान थाना बेहट जनपद सहारनपुर को पूर्वी यमुना नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सुहैल उपरोक्त के कब्जे से 150 ग्राम अवैध चरस बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0 82/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त सुहैल कुरैशी उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

सुहैल कुरैशी पुत्र इमरान निवासी मोहल्ला कस्साबान थाना बेहट जनपद सहारनपुर

### **बरामदगी का विवरण:-**

➤ 150 ग्राम अवैध चरस

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त:-**

1. मु0अ0सं0- 461/2025 धारा- 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 82/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री महेशचन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1058 राहुल राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 357 अनुज कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. का0 1802 बिट्टू थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. का0 1314 अभिषेक खोखर थाना बेहट जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 14.02.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**  
**थाना बेहट पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त**  
**गिरफ्तार, कब्जे से 170 ग्राम चरस बरामद**

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 14.02.2026 को गस्त/चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त आसिफ पुत्र इरफान निवासी मोहल्ला कस्साबान थाना बेहट जनपद सहारनपुर को बेलका नहर पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त आसिफ उपरोक्त से 170 ग्राम अवैध चरस बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0 83/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त आसिफ उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

आसिफ पुत्र इरफान निवासी मोहल्ला कस्साबान थाना बेहट जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

➤ 170 ग्राम अवैध चरस

**अभियुक्त आसिफ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0- 175/2020 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 379 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 599/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 600/21 धारा 10 उत्तरप्रदेश गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 83/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

6. उ0नि0 श्री अरविन्द तोमर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
7. है0का0 928 हरिओम तोमर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
8. का0 1813 कपिल कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 14.02.2026

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करी गिरफ्तार, कब्जे से 22 पक्के देशी शराब उ0प्र0मार्का तथा शराब बिक्री के 610/- रुपये नकद बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध शराब तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव थाना रामपुर मनिहारन के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा दिनांक 13.02.2026 को गस्त के दौरान अभियुक्त लीलु उर्फ मदनपाल पुत्र रहतू निवासी घसौती थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर को ग्राम घसौती से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 22 पक्के देशी शराब उ0प्र0 मार्का व शराब बिक्री के 610 रुपये नकद बरामद हुए। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0 56/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

लीलु उर्फ मदनपाल पुत्र रहतू निवासी घसौती थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण-

- कुल 22 पक्के देशी शराब उ0प्र0 मार्का
- शराब बिक्री के 610/- रुपये नकद

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. का0 योगेश कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर



दिनांक: 14.02.2026

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को**  
**किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 12.02.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त तौकीर पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम ढमौला थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने सम्बंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 51/26 धारा 69 बीएनएस व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट में पंजीकृत किया गया था।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाछित अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.02.2026 को वाछित अभियुक्त तौकीर पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम ढमौला थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को नाजिरपुरा मठ तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-**

तौकीर पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम ढमौला थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री राजकुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 127 विनित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 2201 विपन कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 14.02.2026

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना देवबंद, पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 04 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 02 डंडे बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 14.02.2026 को वादी श्री बनेक पुत्र सिमरु निवासी ग्राम खेड़ी आशा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत विपक्षीगण द्वारा वादी के पुत्र विशाल को एक राय होकर लाठी डण्डो के साथ जान से मारने की नियत मारपीट करना व गाली गलौच करना व जान से मारने की धमकी देना मारपीट के दौरान वादी का पुत्र गम्भीर रूप से घायल हो जाना के आधार पर थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 104/2026 धारा 191(2)/115(2)/351(3)/109(1)/352/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में वांछित की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा- निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक अमरपाल शर्मा थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14/02/2026 को अभियुक्त 1.रोहित पुत्र हरपाल सिंह निवासी नन्हेडा आसा थाना देवबन्द सहारनपुर 2.राहुल पुत्र प्रभुदयाल निवासी रणखण्डी थाना देवबन्द सहारनपुर 3.रवि पुत्र शिवराज निवासी ग्राम हिण्ड थाना भवन जिला शामली 4.रितिक पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम नन्हेडा आसा थाना देवबन्द सहारनपुर को नन्हेडा आसा थाना देवबन्द से गिरफ्तार किया गया व घटना में प्रयुक्त 02 डंडे बरामद किये गये। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

1. रोहित पुत्र हरपाल सिंह निवासी नन्हेडा आसा थाना देवबन्द सहारनपुर
2. राहुल पुत्र प्रभुदयाल निवासी रणखण्डी थाना देवबन्द सहारनपुर
3. रवि पुत्र शिवराज निवासी ग्राम हिण्ड थाना भवन जिला शामली
4. रितिक पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम नन्हेडा आसा थाना देवबन्द सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण-**

➤ घटना में प्रयुक्त 02 डंडे

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 सन्दीप कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. है0का0 655 कमलेश थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. है0का0 272 जुगेन्द्र सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. है0का0 561 शमीम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5. कां0 952 अरविन्द कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
6. कां0 1835 सन्दीप चिकारा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर